न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 238 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 376)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
शेर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। नक्षत्र सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। जगतार सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।	1. हजूर सिंह पुत्र टहल सिंह निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. सरजीत कौर पत्नी हजूर सिंह (मृतक) 1/2. बलजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह निवासी 3 एच एच 1/3. मंगा सिह पुत्र हजूर सिंह -अविवाहित फौत 1/4. हरदीप कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह निवासी कोठा पक्की, श्रीगंगानगर। 1/5. छिन्द्रपाल कौर पत्नी सरदूल सिह निवासी 3 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2.लखविन्द्र कौर पुत्री टहल सिह पत्नी सरदूल सिंह निवासी 8 एन एन तहसील पदमपुर (मृतक) 2/1. सरदूल सिह निवासी 8 एन एन तहसील पदमपुर(मृतक) 2/2.हरदम सिह पुत्र सरदूल सिंह निवासी 8 एन एन तहसील पदमपुर। 2/3.जस्सा उर्फ जरनैल सिंह निवासी 8 एन एन, पदमपुर(मृतक) 2/3/1अर्शदीप सिह पुत्र जरनैल सिंह निवासी 8 एन एन, पदमपुर 2/4. मूर्ति पुत्री सरदूल सिह निवासी 8 एन एन, पदमपुर 2/5 वीरी पुत्री सरदूल सिंह निवासी 8 एन एन, पदमपुर 2/6 पाशो पुत्री सरदूल सिह निवासी 8 एन एन, पदमपुर 2/7 लोगड़ पुत्री सरदूल सिंह निवासी 8 एन एन, पदमपुर 3.भुण्डो उर्फ तेज कौर पुत्री टहल सिह पत्नी गुरबचन सिह निवासी 15 जी छोटी, चूनावढ़ तहसील श्रीगंगानगर(मृतक) 3/1मन्दर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी 15 जी छोटी, चूनावढ़ तहसील श्रीगंगानगर। 3/2लाभ सिह पुत्र गुरबचन सिह निवासी 15 जी छोटी, चूनावढ़ तहसील श्रीगंगानगर। 3/3गुजरी कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह, निवासी 17 जी बी श्रीविजयनगर। 4. सरजीत कौर पुत्री टहल सिह पत्नी भाग सिंह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर-फौत 4/1 कुलविन्द्र सिह पुत्र भाग सिह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर। 4/2 जसविन्द्र सिह पुत्र भाग सिह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर। 4/3 पम्मी उर्फ परमजीत कौर पत्नी राजा सिह निवासी चुनावढ़ तहसील श्रीगंगानगर। 5. पूरो पुत्री टहल सिंह पत्नी जीत सिह निवासी 8 एन एन तहसील श्रीकरणपुर। 6. हरनेक सिह पुत्र टहल सिह -अविवाहित फौत 7. गुडडी पुत्री टहल सिह पत्नी सुखदेव सिह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर(मृतक) 7/1अंग्रेज सिंह पुत्र सुखदेव सिह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर। 7/2बिन्द्र कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्री सुखदेव सिह निवासी 5 के एन डी खाजूवाला जिला बीकानेर। 7/3 जगदीप सिह पुत्र सुखदेव सिह निवासी 5 के के बुटटर तहसील पदमपुर। 8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.12.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/3, 5, 7/1, 7/3

—निर्णय— **दिनांकः 10.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम 1/3 हिस्सा यानि 1.036 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। टहल सिंह पुत्र शाम सिंह की मृत्यू दिनांक 16.04.1977 व उनकी पत्नी भगवान कौर पत्नी टहल सिंह की भी मृत्यू हो चुकी है। मृतक टहल सिंह व भगवान कौर के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ही है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। टहल सिंह पुत्र शाम सिंह की मृत्यू होने के पश्चात उक्त 1.036 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। समस्त प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में वर्णित अपने तमाम अधिकार वादीगण को मौखिक रूप से बहिस्सा बराबर सुपुर्द किये हुए है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वादीगण ही उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर कब्जा काश्त है। वादीगण के नाम से भूमि दर्ज नहीं होने के कारण हर समय भारी कठिनाईयों का सामना पड रहा है। अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पडता है। इस कारण वादीगण उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाने चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार सम्पर्क कर, मौखिक आग्रह किया गया कि आप सहमति से भूमि का अंकन हम वादीगण के नाम से दर्ज करवा देवे। लेकिन पक्षकारान ने साफ इन्कार कर दिया। यहीं वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम दर्ज 1.036 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/3, 5, 7/1, 7/3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/3, 5, 7/1, 7/3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम दर्ज 1.036 हैक्टेयर भूमि में हम प्रतिवादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3/1, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/3, 7/2 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादगत भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1331 दिनांक 05.06.2025 प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार चक 35 एफ के खाता संख्या 93 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 से 13/1 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार टहल सिंह पुत्र शाम सिंह जाति तरखान की मृत्यू लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उक्त 1/3 हिस्से पर मृतक टहल सिंह के वारिसान शेर सिंह पुत्र टहल सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र टहल सिंह, जगतार सिंह पुत्र हजूर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान का मुताबिक घरेलू बंटवारे अनुसार शांतिपूर्वक

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

15-20 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं है। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7/3 का नाम संदीप सिंह से जगदीप सिंह किए जाने के आदेश दिए गए। वादीगण को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है और प्रतिवादीगण को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र, तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट व प्रतिवादीगण के सहमति जवाबदावा के अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र, उभयपक्ष की सहमति व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से मृतक टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम दर्ज 1.036 हैक्टेयर भूमि का वादीगण शेर सिंह पुत्र टहल सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र टहल सिंह, जगतार सिंह पुत्र हजूर सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
शेर सिंह आदि बनाम हजूर सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर **238/2024**
निर्णय दिनांक :-10.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 3.111 हैक्टेयर भूमि में से मृतक टहल सिंह पुत्र शाम सिंह के नाम दर्ज 1.036 हैक्टेयर भूमि का वादीगण शेर सिंह पुत्र टहल सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र टहल सिंह, जगतार सिंह पुत्र हजूर सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	04	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**08**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/688 दिनांकः 10.09.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर